



पत्रांक : क०१०-२ व ०३०/५७६। /०४-१३३४-२०२२/२०२२

दिनांक: २२ नवम्बर, २०२२

सेवा में

प्रबन्धक,  
एपेक्षा इस्टीच्यूट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एण्ड हास्पिटल,  
चुनार, मीरजापुर।

**विषय :** महाविद्यालय रांचालन हेतु सम्बद्धता की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय

महादय,

उपर्युक्त विषयक आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव दिनांक 15.03.2022 के सन्दर्भ में सूच्य है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-14 रान 2014) एवं तदविषयक विधायी अनुबाग-1 द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या-975/79-1-14-1(क)/19/2014 दिनांक 18 जुलाई, 2014 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा-37 एवं 38 में किए गये संशोधन के अनुसार महाविद्यालयों को सम्बद्धता देने का अधिकार उत्तर प्रदेश शासन के स्थान पर विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद में अन्तरित/निहित किए जाने के फलस्वरूप सम्बद्धता प्रस्तावों के निस्तारण हेतु शासनादेश संख्या-2527/रातार-2-2008-2 (166) 2002 दिनांक 10 जून 2008 के अधीन गठित समिति की बैठक दिनांक 18.11.2022 की संरक्षित एवं मा० कुलपति जी के आदेशानुसार कार्यपरिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में एपेक्स इन्स्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसीन एवं हास्पिटल, चुनार, मीरजापुर द्वारा स्ववित्तप्रेषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर चिकित्सा संकाय के अन्तर्गत बी०ए०ए०ए०ए० पाठ्यक्रम (100 सीट) की सम्बद्धता के लिए प्राप्त प्रस्ताव पर सम्यक परीक्षोपरान्त संदर्भित पाठ्यक्रम के लिए सत्र 2020-21 हेतु सशर्त सम्बद्धता अस्थायी की अनुमति प्रदान की जाती है :-

1. संरथा द्वारा एक माह के अन्दर प्रवक्ताओं के वेतन गुगतान के बैंक स्टेटमेण्ट का प्रमाण प्रस्तुत किया जायेगा।
  2. संरथा द्वारा भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित अधिरूचना दिनांक 07 नवम्बर, 2016 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
  3. संरथा शासन द्वारा निर्धारित फीस की धनराशि ही छात्रों से लेगी तथा मेडिकल कालेज में प्रवेश के साधन/विधि के सम्बन्ध में शासन द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
  4. संरथा महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ०प्र० लखनऊ को प्रवेशित आर्थिर्थों एवं रिवितों की सूचना नियमानुसार उनके द्वारा निर्धारित समय के अन्दर उन्हें उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगी तथा इस सम्बन्ध में रामय-रागय पर निर्गत होने वाले शासनादेशों का पालन करेगी।
  5. संरथा निरीक्षण आख्या में इंगित समस्त कमियों एवं सी०सी०आई०एम०/एम०सी०आई० के सम्बन्धित सत्र के पाठ्यक्रम संचालन अनुमति पत्र में वर्णित शर्तों को अवश्य पूर्ण करेगी।
  6. शासनादेश संख्या-883/रात्तर-1-2015 दिनांक 16 नवम्बर, 2015 के राम्बन्ध भविष्य में यदि कोई विसंगति सक्षम प्राधिकारी स्तर अथवा माननीय न्यायालय के स्तर पर उत्पन्न होती है तो इस हेतु समस्त उत्तरदायित्व महाविद्यालय का होगा।
  7. संरथा द्वारा प्रवेशित विद्यार्थियों की परीक्षा री०री०आई०एम०/मेडिकल काउन्सिल ॲफ इण्डिया के नियमों एवं दिशा-निर्देशों से निर्धारित पठन दिवस के उपरान्त ही करायी जायेगी।
  8. यदि संरथा द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अंतर्गत संरथा को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस किये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

9. संस्था द्वारा प्रस्तुत प्ररताव के साथ संलग्न किये गये अगिलेख भविष्य में इतर पाये जाने की स्थिति में सम्बन्धित महाविद्यालय की सम्बद्धता के सम्बन्ध में कार्यपरिषद को तत्काल सूचित किया जायेगा जिसके लिए महाविद्यालय प्रबंधन पूर्णतः उत्तरदायी होंगा।
10. संस्था आदेश में उल्लिखित शर्तों को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा पूर्ण नहीं किये जाने पर सम्बद्धता वापरा लेने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही के लिए प्रकरण कार्यपरिषद को संदर्भित किया जायेगा।
11. उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथा संशोधित उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय द्वितीय संशोधन अधिनियम 2014) की धारा-37(6), 37(7) तथा 37(8) में प्राविधानित अधोलिखित प्राविधान भी प्रभावी होंगे:-

37(6) :-कार्य परिषद प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय का निरीक्षण, उस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा पांच वर्ष से अनधिक के अन्तराल पर समय-समय पर करायेगा और उस निरीक्षण की रिपोर्ट कार्यपरिषद को दी जायेगी।

37(7) :-कार्य परिषद इस प्रकार निरीक्षण किये गये सम्बद्ध महाविद्यालय को ऐसी कार्रवाई करने का निर्देश कर सकेगा जो उसे उस अवधि के भीतर जिसे विहित किया जाये आवश्यक लगे।

37(8) :-कार्य परिषद द्वारा किसी ऐसे महाविद्यालय की सम्बद्धता का विशेषाधिकार जो उपधारा (7) के अधीन कार्य परिषद के किसी भी निर्देश का अनुपालन करने में अथवा सम्बद्धता की शर्तों को पूरा करने में असफल हो महाविद्यालय के प्रबन्धतंत्र से उस विषय पर रिपोर्ट लेने के बाद परिनियमों के उपबन्धों के अनुसार वापस लिया जा सकेगा या कम किया जा सकेगा।

उक्त प्राविधानों के अन्तर्गत विश्वविद्यालय द्वारा कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी और शासन को रिपोर्ट प्रेषित की जायेगी।

12. सरथा द्वारा कगियों की पूर्णता के साथ ही महाविद्यालय में संचालित विषयों/पाठ्यक्रम के सापेक्ष उपलब्ध भवन एन०वी०री० कोड-2005 के अनुरूप होने का प्रमाण एवं अद्यतन अग्निशमन प्रमाण पत्र व शर्तों के अनुपालन के सन्दर्भ में रु 100/- का शपथ पत्र एक माह के अन्दर प्रस्तुत किया जायेगा। अन्यथा की स्थिति में यह अनुमति रखत रामात्मा हो जायेगी।
13. उक्त शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित न किये जाने की स्थिति में आगामी सात्र में संदर्भित विषय/पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रतिवर्धित रहेगा।

भवदीय,

Hari  
कुलसंघिव  
22/11/22 22/11/22

#### प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही :-

1. वै०स०, कुलपति – मा० कुलपति जी को सादर सूचनार्थ।
2. अनुसंघिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. विशेष संघिव, विकित्सा शिक्षा एवं आयुष विभाग अनुभाग-1 उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ।
4. संघिव, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद ६१-६५ इन्स्टीच्युशनल एरिया, जनकपुरी, नई दिल्ली।
5. परीक्षा नियंत्रक को इस आशय से कि उपर्युक्त शर्तों का अनुपालन किये जाने के उपरान्त ही परीक्षा से सम्बन्धित कार्यवाही प्रारम्भ किया जाना सुनिश्चित करें।
6. अधीक्षक (समिति) को इस आशय से कि कृपया कार्यपरिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत कर रखीकृति प्राप्त करें।
7. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।

)  
कुलसंघिव